

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 2.30

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 2.30

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAY GROUND, DRINKING WATER, PARKING, KIDS PARK, etc

(iv) कर्मियों की कुल संख्या :- 38

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 3

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 18 , Girls 15

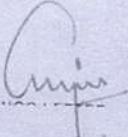
(vii) पेयजल की सुविधा :- 10

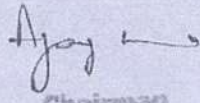
(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

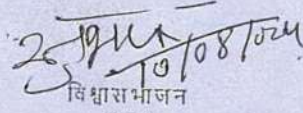
(ix) वाधारहित पहुँच, [] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय :- SMART CLASS, LAB, LIBRARY, MAPS, MATHEMATICAL KITT, etc , FOOT BALL, VOLLEY BALL, BASKET BALL, BADMINTON, TABLE TENNIS, JAVELIN, DISCUS, SHOTPUT, CHESS, LUDDO, CARROM , (Y , 375 , NewsPaper MagaZine:- 12)

11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।
15. लेखा का अंकिक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृति कोड संख्या [2201276202181010023382, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रसवीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें


Principal
Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vaishali)


Chairman
Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vaishali)


Ho I-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, VAISHALI
सह-सचिव प्रसवीकृति समिति
शिक्षा विभाग, विहार सरकार
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, वैशाली



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | VAISHALI
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0

शिक्षा केंद्र, 2 कम्यूनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के पयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रवीकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 10-08-2024 और उसके संग मे आपसे किये गये पताकार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय BEST MODEL PUBLIC SCHOOL, LOMA, JANDAHA (VAISHALI, LOMA, 844505) कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 10-08-2024 से 10-08-2027 अवधि के लिए औपबंधिक प्रवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुतर्गक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुतर्गक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

7

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकास / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित अनुमत योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के तृपित्व का निर्वहन करेगा।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

Chairman

Best Model Public School

Principal

Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vaishali)